

कार्यकारी सारांश

मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए, बिहार सरकार के अंकेक्षित लेखाओं के आधार पर, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वित्त की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

राजकोषीय स्थिति

राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 25,551 करोड़ का राजकोषीय घाटा दर्ज किया जो विगत वर्ष की तुलना में ₹ 4,276 करोड़ से कम हो गया था। 2021-22 के दौरान, राज्य को 2004-05 के बाद तीसरी बार राजस्व घाटे का सामना करना पड़ा, जो कि ₹ 422 करोड़ था। पूँजीगत खंड के अंतर्गत राजस्व लेनदेन के गलत वर्गीकरण की घटना को प्रतिवेदन में बताया गया है।

यद्यपि सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम (बी0एफ0आर0बी0एम0) के संशोधित लक्ष्यों के भीतर था लेकिन यह बजट अनुमानों के अनुसार नहीं था। तथापि, जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष बकाया ऋण पंद्रहवें वित्त आयोग (एफ0सी0) के अनुमानों के भीतर था।

कोविड महामारी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने वाले शीर्ष 10 राज्यों में बिहार तीसरा राज्य था और इसने विगत पाँच वर्षों के दौरान उच्चतम जी0एस0डी0पी0 वृद्धि दर्ज की।

(अध्याय I)

राज्य का वित्त

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य ने मुख्य रूप से केंद्रीय करों के हिस्से और स्व कर राजस्व में वृद्धि के कारण राजस्व प्राप्तियों में ₹ 30,630 करोड़ (23.90 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की।

वर्ष के दौरान मुख्य रूप से सामाजिक सेवाओं में वृद्धि के कारण राजस्व व्यय में ₹ 19,727 करोड़ (14.14 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। साथ ही, राज्य सरकार ने पिछले वर्ष की तुलना में परिसंपत्तियों के निर्माण पर व्यय में 30.03 प्रतिशत की वृद्धि की है।

वर्ष के अंत में बकाया लोक ऋण में विगत वर्ष की तुलना में ₹ 31,698.43 करोड़ (17.89 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है।

31 मार्च 2022 तक नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एन0एस0डी0एल0) को ₹ 279.12 करोड़ (विगत वर्ष की शेष राशि का कम हस्तांतरण ₹ 338.96 करोड़ घटाव ₹ 59.84 करोड़ अतिरिक्त हस्तांतरित) हस्तांतरित किया जाना बाकी था।

विगत पाँच वर्षों (2017-18 से 2021-22) में, राज्य सरकार ने बकाया गारंटी की अधिकतम सीमा राशि ₹ 20,581.52 करोड़ से बढ़ाकर ₹ 37,631.92 करोड़ कर दी है। 31 मार्च 2022 तक बकाया गारंटी ₹ 25,069.78 करोड़ (ब्याज सहित) थी।

(अध्याय II)

बजटीय प्रबंधन

राज्य सरकार ने वर्ष के दौरान कुल प्रावधान (₹ 2,65,396.87 करोड़) के विरुद्ध ₹ 1,94,202.20 करोड़ (73.17 प्रतिशत) का व्यय किया। अनुपूरक प्रावधान (₹ 47,094.17 करोड़) पूरी तरह से अनावश्यक हो गया क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर तक भी नहीं था।

वर्ष के दौरान ₹ 71,194.67 करोड़ की कुल बचत में से, केवल 13.87 प्रतिशत (₹ 9,878.08 करोड़) को अभ्यर्पित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप कुल बचत ₹ 61,316.59 करोड़ (कुल बचत का 86.13 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ। 2021-22 के दौरान, 45 मामलों (38 अनुदानों/विनियोगों) में, ₹ 28,674.33 करोड़ (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या उससे अधिक) की राशि के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए और पूरी तरह से अनुपयुक्त रहे क्योंकि इनमें व्यय (₹ 1,17,957.57 करोड़) मूल प्रावधान (₹ 1,45,097.60 करोड़) के स्तर तक भी नहीं पहुँचा था।

जेंडर बजट में ₹ 73.22 करोड़ की निधि होने के बावजूद श्रेणी 'ए' की 17 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया। राज्य सरकार ने बाल कल्याण बजट की 33 योजनाओं में ₹ 942.87 करोड़ की निधि होने के बावजूद कोई व्यय नहीं किया। बिहार देश में हरित बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। छह श्रेणियों के तहत, 275 योजनाओं के लिए ₹ 7,682.91 करोड़ का प्रावधान किया गया। हालाँकि, समूह 'ए' के रूप में वर्गीकृत 74 योजनाओं में से 16 योजनाओं में कोई व्यय नहीं किया गया।

(अध्याय III)

लेखाओं की गुणवत्ता एवं वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहार

राज्य सरकार ने संबंधित वित्तीय वर्ष में अपने बजट दस्तावेजों/वार्षिक वित्तीय विवरणों में ₹ 1,482.50 करोड़ की गैर-बजट उधारी को प्रदर्शित नहीं किया। तदनुसार, गैर-बजट उधारी सहित ऋण का जी0एस0डी0पी0 से अनुपात 31 मार्च 2022 को 37.29 प्रतिशत था, जबकि बिना गैर-बजट उधारी के यह अनुपात 37.07 प्रतिशत था।

बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता अनुदान के विरुद्ध राज्य के निकायों और प्राधिकरणों द्वारा ₹ 99,178.89 करोड़ की राशि के 23,188 उपयोगिता प्रमाण पत्र (31.08.2020 तक आहरित) प्रस्तुत नहीं किए गए, जो प्रस्तुत करने के लिए देय थे।

राज्य सरकार के विभागों ने ₹ 2,460.86 करोड़ के 3,605 सार आकस्मिक (ए0सी0) बिल आहरित किये गये थे, जिसमें से मार्च 2022 में ₹ 572.76 करोड़ (23.27 प्रतिशत) की राशि के 954 ए0सी0 बिल आहरित किए गए थे। मार्च माह में ए0सी0 बिलों से किये गये महत्वपूर्ण व्यय से पता चलता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट प्रावधानों के अनुप्रयोग के लिए था जो अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।

इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक 2021-22 के 827 ए0सी0 बिलों की राशि ₹ 770.05 करोड़ के अलावा ₹ 6,859.68 करोड़ के 25,101 ए0सी0 बिल (सितम्बर 2021 तक आहरित) बकाया थे। इस प्रकार, 31 मार्च 2022 तक ₹ 7,629.73 करोड़ के कुल 25,928 ए0सी0 बिल लंबित थे। निकाले गए अप्रिमें का लेखांकन नहीं करना सरकारी निधियों की बर्बादी/दुर्विनियोजन की संभावना को बढ़ाता है।

व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) के अनुसार, मार्च 2022 के अंत में 212 प्रशासकों के अधीन व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खातों में ₹ 4,040.21 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी थी। इसके अलावा, ₹ 1.54 करोड़ की राशि वाले 05 पी0डी0 खातों का व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली (सी0टी0एम0आई0एस0) से सी0एफ0एम0एस0 में स्थानांतरण आज तक लंबित है।

विगत तीन वर्षों में ₹ 14,082.36 करोड़ के व्यय को संबंधित व्यय मदों में शामिल नहीं किया गया था, बल्कि वाउचर, उप-वाउचर, मंजूरी आदेश, चलंत बिल और अन्य सहायक दस्तावेजों के अभाव में 8658-102-उचंत खाता (सिविल) शीर्षक के तहत रखा गया था, जो व्यय के प्रमाण के रूप में प्रधान महालेखाकार (लेखा और हकदारी), बिहार को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान, आरंभिक शेष (ओबीओ) उचंत खातों में ₹ 2,384.56 करोड़ रखे गए, जबकि विगत वर्षों से संबंधित ओबीओ उचंत खातों से ₹ 2,063.14 करोड़ का समाशोधन किया गया। इसलिए, इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 321.42 करोड़ की राशि वास्तव में उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/प्राधिकृत किया गया था। इस प्रकार, वर्ष 2021–22 में व्यय उस सीमा तक कम प्रदर्शित हुआ है। मार्च 2022 के अंत में 8658–102– उचंत लेखे (सिविल) के अंतर्गत प्रगामी शेष राशि ₹ 14,785.91 करोड़ थी।

सभी वित्तीय गतिविधियों के निर्बाध संचालन के लिए, सीटीएमआईएसओ के स्थान पर, सीएफएमएसओ, जिसे सत्य के एकल स्रोत के रूप में डिजाइन किया गया है, 01.04.2019 से लागू किया गया था। हालांकि, वित्त विभाग ने अप्रैल 2022 तक सीएफएमएसओ को गो-लाइव घोषित करने से पहले न तो उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटीओ) कराया था और न ही विभाग द्वारा सिस्टम का सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा करायी गयी थी। इसलिए, लेखों के आँकड़ों की विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा के बारे में आश्वासन प्राप्त करना मुश्किल है, जिसका स्रोत केवल सीएफएमएसओ है।

(अध्याय IV)

राज्य लोक क्षेत्र के उद्यम (एसपीएसई)

इस प्रतिवेदन में शामिल 16 एसपीएसई ने अपने नवीनतम अंतिम लेखे के अनुसार ₹ 20,396.89 करोड़ का वार्षिक कारोबार दर्ज किया। यह कारोबार वर्ष 2021–22 के लिए जीएसडीपी के 3.02 प्रतिशत (₹ 6,75,448.00 करोड़) के बराबर था।

31 मार्च 2022 तक, इस प्रतिवेदन में शामिल एसपीएसई में कुल निवेश (अंश पूँजी और दीर्घकालिक ऋण) ₹ 52,689.67 करोड़ था। निवेश में अंश पूँजी 76.41 प्रतिशत (₹ 40,260.17 करोड़) और दीर्घकालिक ऋण 23.59 प्रतिशत (₹ 12,429.50 करोड़) सम्मिलित थे। अंश पूँजी में राज्य सरकार की धारिता ₹ 39,686.75 करोड़ थी। 31 मार्च 2022 तक राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 619.30 करोड़ का ऋण बकाया था। पिछले वर्ष की तुलना में, एसपीएसई में राज्य सरकार की अंश पूँजी धारिता में ₹ 32.23 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई।

सरकार ने 31 मार्च 2022 तक 19 कार्यशील राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (एसपीएसई), एक सांविधिक निगम और 15 अकार्यशील एसपीएसई, जिनके लेखे 31 जुलाई 2022 तक बकाया थे, को ₹ 29,830.55 करोड़ की बजटीय सहायता प्रदान की। इन एसपीएसई ने कम्पनी अधिनियम/संबंधित सांविधिक निगमों के अधिनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पिछले एक से 45 वर्षों से अपने लेखाओं को अन्तिमीकृत नहीं किया था।

प्रतिवेदन में शामिल 16 एसपीएसई में से सात एसपीएसई ने वर्ष 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित किया। अर्जित लाभ 2020–21 में ₹ 302.15 करोड़ से घटकर 2021–22 में ₹ 291.30 करोड़ हो गया। 2021–22 में शीर्ष लाभ अर्जित करने वाली कम्पनी बिहार ग्रिड कम्पनी लिमिटेड (₹ 143.97 करोड़) थी। 2021–22 के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सात एसपीएसई का निवल मूल्य ₹ 10,989.84 करोड़ था। इन सात एसपीएसई का अंश पूँजी पर प्रतिफल (आरओई), 2020–21 में 2.80 प्रतिशत की तुलना में 2021–22 के दौरान 2.65 प्रतिशत था। वर्ष 2021–22 में पाँच हानि वहन करने वाले एवं चार बिना लाभ/हानि वाले एसपीएसई सहित सभी 16 एसपीएसई का अंश पूँजी पर प्रतिफल (–)7.88 प्रतिशत था।

31 मार्च, 2022 तक 16 एस0पी0एस0ई0 में से केवल पाँच एस0पी0एस0ई0 थे, जिन्हें ₹ 1,946.95 करोड़ का घाटा हुआ। इन पाँच एस0पी0एस0ई0 का संचित घाटा और निवल मूल्य क्रमशः ₹ 21,041.52 करोड़ और ₹ 8,783.09 करोड़ था, जबकि अंश पूँजी निवेश ₹ 29,740.37 करोड़ था। चार एस0पी0एस0ई0 का निवल मूल्य पूरी तरह से समाप्त हो गया था, और 31 मार्च 2022 तक ₹ 85.50 करोड़ के अंश पूँजी निवेश की तुलना में यह ₹ (-) 588.43 करोड़ था।

(अध्याय V)